लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA/ESH/74/18/285 दिनांक: 10.07.2018

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास विभाग के प्रत्रांक 330769 दिनांक 03.10.2017 के आलोक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत कर्मियों के साथ अधिकारिक तौर पर कर्मियों के Performance Appraisal के आधार पर अनुबन्ध एकरारनामा एवं नवीनीकरण किया जाना है। इसी क्रम में श्री अर्जुन कुमार, जिला समन्वयक, किशनगंज का जिला जल एवं स्वच्छता समिति किशनगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये Performance Appraisal में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, किशनगंज द्वारा श्री कुमार के कार्य के लिए Unsatisfactory दर्ज किया गया है।

साथ ही साथ उप विकास आयुक्त-सह- उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, किशनगंज द्वारा भी श्री अर्जुन कुमार के कार्य के लिए असंतोषजनक लिखा गया है।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज के पत्रांक 455 दिनांक 15.03.2018 द्वारा नगर थाना किशनगंज में प्राथमिकी दर्ज कराया गया जिसमें अर्जुन कुमार, जिला समन्वयक के नाम को भी अंकित करते हुए निम्न आरोप लगाये गये हैं :-

- पी.एच.ई.डी. कार्यालय, किशनगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये 10366 अभिलेखों के विरुद्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) के पोर्टल पर 19586 लाभुकों की प्रविष्टी की गयी है।
- पी.एच.ई.डी. कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये 10366 अभिलेखों में दर्ज नाम एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) के पोर्टल पर प्रविष्टी कराये गये 19586 लाभुकों के नाम को मिलन के क्रम में मात्र 1754 लाभुकों की प्रविष्टी सही पायी गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि (19586-1754) कुल 17832 लाभुकों का अभिलेख से इतर फर्जी तरीके से भुगतान कर दिया गया है।
- उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल कार्यालय द्वारा 17832+791=18623 (अठारह हजार छः सौ तेईस) लाभुकों को फर्जी तरीके से भुगतान कर दिया गया है।
- पी.एच.ई.डी. कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेखों का संधारण अत्यंत ही त्रुटिपूर्ण पाया गया। सामान्यतः उपर्युक्त अभिलेखों के सभी कॉलम न तो भरे गये हैं और न ही वे किसी सरकारी कर्मी के हस्ताक्षरयुक्त है। स्पष्ट है कि विधिवत अभिलेख संधारित किये बिना ही लाभुकों को भुगतान कर दी गयी है, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

31

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, किशनगंज द्वारा पत्रांक 870 दिनांक 22.05.2018 से यह सूचित किया गया है कि श्री अर्जुन कुमार, जिला समन्वयक विगत दो माह से अपने कार्य-स्थल से अनुपस्थित हैं।

अतः उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोंपरान्त श्री अर्जुन कुमार, जिला समन्वयक, किशनगंज के एकरारनामा का अवधि विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

आदेशानुसार

10/7/18

(राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक

ज्ञापांक: BRLPS/LSBA/ESH/74/18/285 **दिनांक:** 10.07.2018

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला समन्यवक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला अधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/18

(राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक